each registered applicants in each category; and

(c) when the Rohini Residential Scheme was notified and by when all the registered applicants will be given plots under the above scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI P. K. THUNGON): (a) DDA has reported that 82,384 persons were registered under Rohini Residential Scheme 1981. Their category-wise present status of allotment is as under:—

S.No.	Category	No. of registrants	Allotment made	Priority Number covered
1	Janta	18390	13857	2002
2	LIG	38105	17109	5954
3	MIG	25889	10764	5101
	TOTAL:	82384	41730	

Out of above, 1547 registrants have got their registration cancelled and thus total of 39107 registrans are in the waiting list.

(b) No allotment of plot was made during the year 1992. The rate per sq. mtr. charged in 1993 from each registered applicant in each category is as under:—

S.No.	Category	No. of Plots allotted	Rate per sq. mtr. charged
1	Janta	Nil	Nil
2	LG	592	Rs. 1049.97/-
3	MIG (60 Sq. mtr.)	1200	Rs. 1579.71/-

No rates have been fixed for 1994.

(c) The Rohini Residential Scheme was opened from February, 1981 to April 1981 and a phased programme has been chalked out to make allotment to all remaining registrants by the end of the 8th Five Year Plan subject to availability of land funds, infrastructure etc.

आवासीय स्थानों का वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये रूपान्तरण

1716. चौधरी हरमोहन सिंह :
श्री कनक सिंह मोहन सिंह मंगरोला :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण

के अन्तर्गत आने आले आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यक प्रयोयजनों के लिए निर्माण किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो आवासीय स्थलों के वाणिज्यक स्थलों में रूपान्तरण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण के आवासीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक निर्माण कार्यों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से सर्वे किया जाता है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में निर्धारित पद्धति के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

गत चार वर्षों के दौरान चलाये गए मुकदमों की संख्या निम्नलिखित है :—

1990–91	5
1991–92	19
1992–93	304
1993–94	481

राज्य सरकारों के स्वास्थ्य प्रस्तावों को मंजूरी

1717. **चौधरी हरमोहन सिंह :**
श्री ईश दत्त यादव :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों, विशेषत: उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से भूमिगत मल व्ययन योजनाओं के संबंध में कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है ; और

(घ) अस्वीकृत की गई योजनाओं के नाम क्या हैं और इसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं। तथापि, हुडको को गत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक प्रस्ताव सहित 8 प्रस्ताव मिले हैं।

(ख) राज्य-वार ब्यौरे विवरण में दिए अनुसार हैं **(नीचे देखिये)**।

(ग) हुडको द्वारा 3 स्कीमें स्वीकृत की जा चुकी हैं और 5 स्कीमें प्रक्रियाधीन हैं।

(घ) 5 स्कीमों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

(i) गुजरात राज्य में बड़ौदा के लिए मलजन लोधन संयंत्र का संवर्धन।

संशोधित प्रस्ताव, बड़ौदा नगर निगम द्वारा अभी भी भेजा जाना है।

(ii) जामनगर के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम।

संशोधित स्कीम मार्च, 1994 में ही मिली है और मूल्यांकनाधीन है।

(iii) सूरत में मलजन शोधन संयंत्र का निर्माण।

इस परियोजना के लिए स्कीम मार्च, 94 में ही हुडको को प्राप्त हुई है और मूल्यांकनाधीन है।

(iv) महाराष्ट्र में लोनावाला कस्बे के लिए भूमिगत सीवरेज स्कीम।

यह स्कीम हुडको के विचाराधीन है।

(v) उत्तर प्रदेश में शताब्दी नगर चरण VI में, मेरठ में बाह्य सीवरेज स्कीम।

मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अभी भी विभिन्न संगठनात्मक तकनीकी और वित्तीय स्पष्टीकरण हुडको के विचारार्थ भेजे जाने हैं।